

# कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता जयपुर पूर्व।

क्रमांक

दिनांक 28-08-2018

श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय,

जिला जयपुर पूर्व

मार्फत - श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय बस्सी जयपुर पूर्व

विषय --- परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश शर्मा बावत न्यूज कटिंग समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 01 08-2018 में प्रकाशित शीर्षक पुलिस गैंगवार के भय से फोन करके हार्डकोर बदमाशों को थाने पर बुला कर लगा रही आर्म्स एक्ट की धारा के सम्बंध में ।

प्रसंग - पोर्टल पर दर्जपरिवाद की पालना में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में निवेदन है कि पुलिस थाना कानोता जयपुर पूर्व पर अभियोग सख्या 425/2018 धारा 307 आई.पी.सी. व 3/25 आर्म्स एक्ट दिनांक 26-06-2018 परिवादी श्री मुकेश मीना पुत्र लक्ष्मी नारायण जाति मीना निवासी सुमेल थाना कानोता द्वारा नाम जद श्री रूपनारायण मीना व कैलाश मीना के करवाया था। पूर्व में उक्त प्रकरण के अनुसंधान हेतु श्री रूपनारायण मीना,कैलाश मीना,जगदीश मीना,बनवारी मीना,रामावतार मीना,महेन्द्र मीना,सुरेश मीना,चन्दा उर्फ गुलाव चन्द,औमप्रकाश मीना,अनिल कुमार,राममनोहर सैनी,डव्लू शर्मा को कई वार तलव कर तफतीश की गई है । दिनांक 27-07-2018 को श्री रूपनारायण मीना उर्फ रूपा पुत्र चोथूराम जाति मीना उम्र 30 साल निवासी ई-एक गणेश विहार -2 मॉडल टाउन मालवीय नगर जयपुर व कैलाश झालान उर्फ कैलाश मीना पुत्र गोपीराम जाती मीना उम्र 32 साल निवासी 247 दयानन्द मार्ग झालाना झूरी थाना गान्धीनगर जयपुर व अन्य सदियुक्त लोगों को तलव किया गया था । बाद तफतीश सभी लोगों को उनके परिजनो / मिलने वालो के साथ दिन में समय से ही रूकसत किया जा चुका था ।

दिनांक 24-07-2018 को मुखवीर की सूचना पर समय 04-20 पी.एम.पर श्री लक्ष्मण शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मन् उम्र 35 साल निवासी कंजोली थाना बालधाट जिला करौली हाल 297 महावीर नगर विजयपुरा थाना कानोता जिला जयपुर की चैकिंग करने पर उसके कब्जे में तीन जिन्दा कारतूस के पकड़े जाने पर अभियोग सख्या 503/2018 दिनांक 24-07-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर मुल. को पेश न्यायालय किया गया था। न्यायालय से मुल. श्री लक्ष्मण शर्मा का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर तफतीश की गई। बाद तफतीश जे.सी. करवाया गया । मुल. श्री लक्ष्मण शर्मा की माननीय जिला एवं सैशेन न्यायालय जयपुर महानगर से जमानत हुई है । जिसमें चार्जशीट नम्बर 207/2018 दिनांक 13-08-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट खिलाफ श्री लक्ष्मण शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मन् उम्र 35 साल निवासी कंजोली थाना बालधाट जिला करौली हाल 297 महावीर नगर विजयपुरा थाना कानोता जिला जयपुर कित्ता की गई है।

दिनांक 24-07-2018 को मुखवीर की सूचना पर समय 04-20 पी.एम.पर श्री रामदयाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मन् उम्र 36 साल निवासी कंजोली थाना बालधाट जिला करौली हाल 215 महावीर नगर विजयपुरा थाना कानोता जिला जयपुर की चैकिंग करने पर उसके कब्जे में धारदार तलवार के पकड़े जाने पर अभियोग सख्या 504/2018 दिनांक 24-07-2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर मुल. को पेश न्यायालय किया गया था । न्यायालय से मुल. श्री रामदयाल शर्मा का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर तफतीश की गई। बाद तफतीश जे.सी. करवाया गया । मुल. श्री रामदयाल शर्मा की माननीय जिला एवं सैशेन न्यायालय जयपुर महानगर से जमानत हुई है । जिसमें चार्जशीट नम्बर 202/2018 दिनांक 07-08-2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट खिलाफ श्री रामदयाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मन् उम्र 36 साल निवासी कंजोली थाना बालधाट जिला करौली हाल 215 महावीर नगर विजयपुरा थाना कानोता जिला जयपुर कित्ता की गई है।

दिनांक 24-07-2018 को मुखवीर की सूचना पर समय 04-20 पी.एम.पर श्री महेश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मन् उम्र 30 साल निवासी कंजोली थाना बालधाट जिला करौली हाल 338 महावीर नगर विजयपुरा थाना कानोता जिला जयपुर की चैकिंग करने पर उसके कब्जे में एक देशी कट्टा मय दो जिन्दा कारतूस के पकड़े जाने पर अभियोग सख्या 505/2018 दिनांक 24-07-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर मुल. को पेश न्यायालय किया गया था । न्यायालय से मुल. श्री महेश शर्मा का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर तफतीश की गई। बाद तफतीश जे.सी. करवाया गया । मुल. श्री महेश शर्मा की माननीय जिला एवं सैशेन न्यायालय जयपुर महानगर से जमानत हुई है । जिसमें चार्जशीट नम्बर 208/2018 दिनांक 13-08-

2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट खिलाफ श्री महेश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मन् उम्र 30 साल निवासी कंजोली थाना बालघाट जिला करौली हाल 338 महावीर नगर विजयपुरा थाना कानोता जिला जयपुर किता की गई है

दिनांक 27-07-2018 को मुखवीर की सूचना पर समय 10-55 पी.एम.पर श्री रूपनारायण मीना उर्फ रूपा पुत्र चोथूराम जाति मीना उम्र 30 साल निवासी ई-एक गणेश विहार -2 माँडल टाउन मालवीय नगर जयपुर को मय कार अल्टो नम्बर RJ -14 -CJ -7384 से नाकाबन्दी के दौरान नायला तिराये पर चैक करने पर उसके कब्जे में एक रिवालवर व एक जिन्दा कारतूस के पकड़े जाने पर अभियोग सख्या 509/2018 दिनांक 28-07-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर मुल. को पेश न्यायालय किया गया था । न्यायालय से मुल. श्री रूपनारायण मीना उर्फ रूपा का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर तफतीश की गई। बाद तफतीश जे.सी. करवाया गया । मुल. श्री रूपनारायण मीना उर्फ रूपा की माननीय जिला एवं सैशेन न्यायालय जयपुर महानगर से जमानत हुई है । जिसमें चार्जशीट नम्बर 216/2018 दिनांक 16-08-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट खिलाफ श्री रूपनारायण मीना उर्फ रूपा पुत्र चोथूराम जाति मीना उम्र 30 साल निवासी ई-एक गणेश विहार -2 माँडल टाउन मालवीय नगर जयपुर किता की गई है। मुल. पुलिस थाना मालवीय नगर जयपुर का हिस्ट्रीशीटर है।

दिनांक 28-07-2018 को समय 06-15 ए.एम.पर कस्वा कानोता से श्री कैलाश झालान उर्फ कैलाश मीना पुत्र गोपीराम जाती मीना उम्र 32 साल निवासी 247 दयानन्द मार्ग झालाना झगरी थाना गान्धीनगर जयपुर चैक करने पर उसके कब्जे में एक देशी पिस्टल व एक जिन्दा कारतूस के पकड़े जाने पर अभियोग सख्या 510/2018 दिनांक 28-07-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर मुल. को पेश न्यायालय किया गया था । न्यायालय से मुल श्री कैलाश झालान उर्फ कैलाश मीना का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर तफतीश की गई। बाद तफतीश जे.सी. करवाया गया । मुल. श्री रूपनारायण मीना उर्फ रूपा की माननीय जिला एवं सैशेन न्यायालय जयपुर महानगर से जमानत हुई है। मुल. पुलिस थाना गान्धी नगर जयपुर का हिस्ट्रीशीटर है।

दिनांक 28-07-2018 को मुखबीर की सूचना पर समय 07-55 पी.एम.पर लखेसरा रोड से श्री विजय कुमार उर्फ काना राम साखला पुत्र छोदू राम जाती मीना उम्र 24 साल निवासी साखलो की ढाणी दातली थाना शिवदास पुरा जयपुर चैक करने पर उसके कब्जे में एक देशी पिस्टल व दो जिन्दा कारतूस के पकड़े जाने पर अभियोग सख्या 512/2018 दिनांक 28-07-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर मुल. को पेश न्यायालय किया गया था । न्यायालय से मुल श्री विजय कुमार उर्फ काना राम साखला का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर तफतीश की गई। बाद तफतीश जे.सी. करवाया गया । मुल. श्री रूपनारायण मीना उर्फ रूपा की माननीय जिला एवं सैशेन न्यायालय जयपुर महानगर से जमानत हुई है । जिसमें चार्जशीट नम्बर 209/2018 दिनांक 13-08-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट खिलाफ श्री विजय कुमार उर्फ काना राम साखला पुत्र छोदू राम जाती मीना उम्र 24 साल निवासी साखलो की ढाणी दातली थाना शिवदास पुरा जयपुर किता की गई है ।

दिनांक 30-07-2018 को मुखबीर की सूचना पर समय 11-40 ए.एम.पर शहीद की पुलिया,रघुनाथपुरा मोड से श्री श्योजीराम पुत्र कन्यालाल जाती मीना उम्र 39 साल निवासी लहरियो की ढाणी हरडी थाना कानोता जयपुर को चैक करने पर उसके कब्जे में एक देशी कट्टा व एक जिन्दा कारतूस के पकड़े जाने पर अभियोग सख्या 516/2018 दिनांक 30-07-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर मुल. को पेश न्यायालय किया गया था । न्यायालय से मुल श्री श्योजीराम का पी.सी. रिमाण्ड प्राप्त कर तफतीश की गई। बाद तफतीश जे.सी. करवाया गया । मुल. श्री श्योजीराम की माननीय जिला एवं सैशेन न्यायालय जयपुर महानगर से जमानत हुई है । जिसमें चार्जशीट नम्बर 210/2018 दिनांक 13-08-2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट खिलाफ श्री श्योजीराम पुत्र कन्हैयालाल जाति मीना उम्र 39 साल निवासी लहरियो की ढाणी हरडी थाना कानोता जयपुर किता की गई है । मुल. श्योजीराम को कोर्ट परिसर जयपुर से नही पकडा गया था ।

उक्त सभी मुलजिमान के खिलाफ पूर्व में भी आर्म्स एक्ट व हत्या तथा अन्य गम्भीर प्रकृति के अभियोग दर्ज है । थाना हाजा पर किसी भी अपराधी के खिलाफ गैंगवार के भय से फोन करके हार्डकोर बदमाशो को थाने पर बुला कर आर्म्स एक्ट की धारा मे गलत रूप से बन्द नही किया गया है।

थानाधिकारी  
पुलिस थाना कानोता  
जयपुर पूर्व